


बिहार शिक्षा परियोजना
मिशन महादेवा,
महादेवा ३००३० के निकट
सीवान— ८४१२२७
पत्रांक :५१९.....



Bihar Education Project
Mission, Mahadewa
Near Mahadewa O.P.
Siwan - ८४१२२७
Dated: २५./०१./२०२०

सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

डिलाइन एड्युकेशन कूल
पर्सनल एज्यूकेशन - जिरोहॉट
जिला— सीवान।

विषय:- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशाया,

आपके आवेदन—पत्र दिनांकऔर उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालयडिलाइन एड्युकेशन कूल, पर्सनल एज्यूकेशन को कक्षा १ से ०८ तक संचालन हेतु तीन वर्षों २०१९-२० से २०२१-२२ तक की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा १-२ तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चे की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम— २००९ (अनुलग्नक—१) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली— २०११ (अनुलग्नक— २) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा १ में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का २५ प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमज़ोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. कंडिका ३ में उद्भूत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा १२ की उपधारा २ के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता—पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जायेंगे :-
 - I. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
 - II. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
 - III. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - IV. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम २२ के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - V. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

शिक्षा यज्ञ अधिकारी


सर्व शिक्षा अभियान
वाले पक्षे लाल लाल

DPO, (SSA) Siwan
Website – ssasiwan.in

Ph No. ०६१५४ २४२०३१
Email- ssadloosiwan@gmail.com

VK

बिहार शिक्षा परियोजना
मिशन महादेवा,
महादेवा ओ०पी० के निकट
सीवान— 841227
पत्रांक : 519



Bihar Education Project

Mission, Mahadewa

Near Mahadewa O.P.

Siwan - 841227

Dated: 24./01./2020..

- VI. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
- VII. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- VIII. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्भूत मानकों एवं मापदण्डों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् है :— विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल कुल निर्मित क्षेत्र.....
- | | |
|---|---------|
| खेल के मैदान का क्षेत्र | 150*280 |
| वर्ग कक्षों की कुल संख्या | 15 |
| प्रधानाध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भंडार कक्ष | 01 |
| बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग—अलग शौचालय, बालक | 04 |
| पेयजल की सुविधा | 3 टंके |
| मध्याहन भोजन के लिए रसोई घर | |
| बाधारहित पहुँच : | |
| शिक्षण अधिगम सम्मग्री / खेल—कूद उपकरण / पुस्तकालय | 81 |
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्बंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या— RTE/SWN/2019-20/ 00248 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्भूत किया जाये।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा समय—समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चित हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय—समय पर निर्गत अनुदेशों को अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाईटी के निर्बंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाये।
19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।

विश्वासभाजन

(दिलीप कुमार सिंह)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

प्रांशु एवं सर्व शिक्षा अभियान, सीवान।

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सर्व पक्ष लक्ष्य बढ़ाने